जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

जीविका समाचार पत्रिका

।। माह – अक्टूबर 2024 ।। अंक – 51 ।। केवल आंतरिक वितरण हेतु।।

अन्दर के पृष्ठों में...

जीविका के सहयोग और अपनी मेहनत से बनी एक सफल महिला उद्यमी
(पृष्ठ – 02)

स्वरोजगार से जुड़कर मरियम के जीवन में आया उजाला
(पृष्ठ – 03)

दीदी का अधिकार केंद्र: महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण मंच
(पृष्ठ – 04)

जागरूकता और स्वावलंबन : महिलाओं में आई बराबरी का सफर

बिहार में जीविका द्वारा महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है जिससे महिलाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जीविका का उद्देश्य न केवल महिलाओं को सशक्त बनाना है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और जीविकोपार्जन संबंधी विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय करना भी है। साथ ही सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

आजकल महिलाओं को लैंगिक समानता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जागरूक किया जा रहा है। हालाँकि वर्तमान परिदृश्य के कुछ मामलों में महिला और पुरुषों के बीच समानता देखने को मिल रही है। महिलाएँ बालिका शिक्षा, दहेज–प्रथा, बाल–विवाह, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या और संपत्ति के अधिकार जैसे गंभीर मुद्दों पर भी जागरूक हुई है।

जीविका सामुदायिक संगठनों के माध्यम से महिलाओं को लैंगिक समानता पर जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं:–

- **अपने नाम से पहचान :** अब महिलाएँ अपने स्वयं के नाम से पहचानी जाने लगी हैं। पहले वे अपने पति या बेटे के नाम से जानी जाती थीं, लेकिन अब उन्हें अपने नाम से पहचान मिली रही है। इससे उनमें आत्म सम्मान का भाव आया है।
- **सक्रियता:** सामुदायिक संगठन से जुड़ने के बाद महिलाओं की सक्रियता में वृद्धि हुई है। इसने उनमें जागरूकता का विकास हुआ है, जिससे वे अपने हक़ के लिए आवाज उठाने में सक्षम हो रही हैं।
- **आर्थिक आत्मनिर्भरता:** समूह के माध्यम से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध होने से महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। वे ऐसे क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं, जिनमें पहले केवल पुरुषों का ही बर्चस्व था।
- **मान–सम्मान में वृद्धि:** सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की सक्रियता बढ़ने से उनका समाज एवं परिवार में मान–सम्मान बढ़ा है। अब वे पारिवारिक निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
- **समस्याओं का समाधान:** जीविका सामुदायिक संगठनों के माध्यम से लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों का समाधान करना आसान हो गया है। महिलाएँ अब खुलकर अपनी समस्याओं को साझा कर रही हैं और समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं।
- **सरकारी योजनाओं का लाभ:** सामुदायिक संगठनों की बैठकों में दीदियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, जिससे वे मनरेगा, राशन, पेंशन, बीमा आदि योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रही हैं।
- **स्वच्छता और सम्मान:** ग्रामीण स्तर पर 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' के तहत शौचालयों के निर्माण और उसके नियमित उपयोग से महिलाओं का मान–सम्मान बढ़ा है। यह स्वच्छता उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बना रही है।
- **आपराधिक मामलों में कमी:** शराबबंदी के बाद राज्य में घरेलू हिंसा और यौन हिंसा में कमी आई है। यह बदलाव जीविका दीदियों की मांग पर ही संभव हुआ है, जो उनकी सामूहिक शक्ति को दर्शाता है।
- **संवाद क्षमता का विकास:** महिला और पुरुषों के बीच आपसी झिझक कम हुई है, जिससे वे हर किसी से संवाद करने में सक्षम हुई हैं। वह विभिन्न मंचों पर अपने मुद्दों को सक्रिय रूप से पेश करती है।
- **शिक्षा में सुधार:** समूह से जुड़ी निरक्षर महिलाओं ने अब हस्ताक्षर करना सीख लिया है। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। यह उनकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **राजनीतिक भागीदारी:** ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। वे पंचायती राज संस्थानों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और स्थानीय चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। आज जीविका से जुड़ी हजारों महिलाएँ पंचायती राज संस्थानों में चुनकर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है।

जीविका ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को न केवल स्वावलंबी बनाया है बल्कि उनमें जागरूकता और आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। जीविका महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रही है, जिससे वे समाज में अपने हक और अधिकार के लिए खड़ी हो रही हैं। जागरूकता और स्वावलंबन से महिलाओं में आई इस बराबरी से समाज को एक नई दिशा मिल रही है। इस प्रकार बिहार की महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में जीविका ने उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है।

जीविका के सहयोग और अपनी मेहनत से बनी एक सफल महिला उद्यमी

प्रेमता देवी ने जीविका के सहयोग और अपनी मेहनत के दम पर एक सफल उद्यमी बनकर मिसाल कायम की है। अरवल जिला के अरवल सदर प्रखंड अन्तर्गत मलाकागंज गाँव की रहने वाली प्रेमता देवी वर्ष 2018 में तुलसी जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाली प्रेमता देवी जीविका समूह से जुड़ने के बाद विभिन्न गतिविधियों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। समूह में जुड़ने के पूर्व उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पति राज्य के बाहर एक फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन मजदूरी इतनी कम थी कि परिवार की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी। एक बेटा और एक बेटी सहित चार सदस्यों वाले इस परिवार का गुजारा बेहद कठिनाई से हो रहा था।

बहरहाल जीविका स्वयं सहायता से जुड़कर प्रेमता देवी ने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने परिवार के साथ विचार–विमर्श और दीदियों के प्रोत्साहन से स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। तदुपरांत प्रेमता दीदी ने समूह से 50,000 रुपये ऋण लेकर गाड़ी के पार्ट्स–पूर्जों की दुकान खोली। चूंकि उनके पति को पार्ट्स–पुर्जों से संबंधित फैक्ट्री में काम करने का अनुभव था। इससे वह पार्ट्स–पूर्जों के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखते थे। प्रेमता देवी अपने पति के साथ मिलकर दुकान चलाने लगी। धीरे–धीरे दुकान की बिक्री बढ़ने लगी और इससे अच्छी आमदनी भी होने लगी।

दुकान की आय से प्रेमता ने समूह से लिया ऋण समय पर चुका दिया। साथ ही बचत के पैसे से उन्होंने एक गाय खरीदी है। अब वह दुकान के साथ–साथ गाय पालन भी कर रही है और दूध बेचकर प्रतिमाह औसतन 6 से 7 हजार रुपये कमा रही है। इन व्यवसायों से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और परिवार का भरण–पोषण बेहतर तरीके से हो रहा है। उन्होंने पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने का भी निर्णय लिया। प्रेमता देवी ने दुकान से हुई आमदनी के साथ–साथ समूह से पुनः 95,000 रुपये ऋण लेकर एक ट्रैक्टर भी खरीदी है। अब वह ट्रैक्टर को भाड़े पर चलवाती है। इससे प्रतिमाह तकरीबन 40 से 50 हजार रुपये का कारोबार हो जाता है। जिससे वह समूह और बैंक क़िस्त का भी भुगतान करती है। आज उनकी पहचान एक लखपति दीदी के रूप में हो चुकी है। जीविका के सहयोग से प्रेमता देवी ने अपने सपनों को पूरा किया है और परिवार को विकास की राह पर अग्रसर किया है।

सौर ऊर्जा से जन्नति के जीवन में आई उन्नति

बेगूसराय जिले के चेरिया बरियापुर प्रखंड के पवरा गांव की निवासी जन्नति खातून ने समाज में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जन्नति, जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, उन्होंने तमाम कठिनाईयों को तोड़ते हुए अपने उद्यम की शुरुआत की। खास बात यह है कि उनका अगरबत्ती निर्माण उद्योग सौर ऊर्जा से संचालित होता है, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, बल्कि वह केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा योजना को भी आगे बढ़ा रही है।

जन्नति ने वर्ष 2019 में जीविका से जुड़कर अपनी यात्रा शुरू की। इससे पूर्व उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। जीविका समूह से ऋण लेकर उन्होंने एक सिलाई मशीन खरीदी और कपड़े सिलाई का काम शुरू किया। हालांकि उनके मन में कुछ नया करने की चाह थी। एक दिन आशीर्वाद जीविका महिला संकुल संघ की बैठक में उन्हें सौर ऊर्जा से संबंधित प्रशिक्षण का मौका मिला।

जन्नति ने इस अवसर का लाभ लेकर सौर ऊर्जा से चलने वाले अगरबत्ती निर्माण का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने समूह से ऋण की मांग की, जिसे स्वीकृति मिलने पर उन्होंने सोलर एनर्जी कंपनी सेल्को से मशीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। कंपनी ने लगभग 4 लाख रुपये लागत वाली मशीन और सौर ऊर्जा सेटअप को सब्सिडी पर उन्हें महज 1 लाख 25 हजार रुपये में उपलब्ध कराया जिससे उसने अगरबत्ती निर्माण का कार्य शुरू किया।

जन्नति अब अपने व्यवसाय में 3–4 अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। वे रोजाना 10 से 15 किलोग्राम अगरबत्ती का उत्पादन करती है। इससे उन्हें प्रतिमाह करीब 10 से 15 हजार रुपये की आमदनी हो रही है। जन्नति खुद ही अपने उत्पाद की मार्केटिंग कर रही है और धीरे–धीरे अपने ब्रांड की पहचान बना रही है।

जन्नति का यह प्रयास सराहनीय है। इससे सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है और बिजली पर निर्भरता भी समाप्त हो रही है। जन्नति की कहानी प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि स्वावलंबन की दिशा में सार्थक कदम उठाए जा सकते हैं।

स्वरोजगार से जुड़कर मरियम के जीवन में आया उजाला

मरियम सोरेण को महज 13 वर्ष की उम्र में ही शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ को उठाना पड़ा था। हालांकि उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए न केवल अपने परिवार का अच्छी तरह परवरिश करने बल्कि इसे विकास की राह पर अग्रसर करने में भी सफलता पाई है।

जमुई जिला के चकाई प्रखंड अन्तर्गत एकतारा गाँव की रहने वाली मरियम सोरेण वर्ष 2017 में पिंकी जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। उन्होंने शादी के बाद इंटर तक अपनी पड़ाई पूरी की। पढ़ी–लिखी मरियम ने समूह की दीदियों की सहमति से सचिव का पद संभाला और अपने गांव में सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। वह बताती हैं कि समूह से जुड़ने से पहले उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। उनके पति मजदूरी करते थे, लेकिन उनकी सीमित आय से परिवार के खर्चों को पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा था। एक दूरस्थ गाँव में रहने के कारण विकास की सुविधाएँ भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई थीं। जीविका समूह से जुड़ने के बाद मरियम को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी मिली।

स्वावलंबन की चाह रखने वाली मरियम ने समूह से ऋण लेकर अपने घर पर किराना दुकान खोली। चूंकि इस इलाके में कोई और दुकान नहीं थी, ऐसे में उनके किराना दुकान से अच्छी–खासी बिक्री होने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने समूह से पुन: 30 हजार रुपये ऋण लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार किया। आज उनका किराना व्यवसाय सफलतापूर्वक चल रहा है। इस व्यवसाय से उन्हे प्रत्येक माह करीब 10 से 12 हजार रुपये की आमदनी हो रही है।

इसके अलावा मरियम ने मुर्गी पालन की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। समूह से ऋण लेकर उन्होंने मुर्गी पालन शुरू किया है। अब किराना दुकान और मुर्गी पालन से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। उनके पति जो पहले बाहर मजदूरी करते थे, अब वापस लौट आए हैं और दुकान के संचालन में उनका सहयोग करते हैं। मरियम के दो बच्चे हैं, जो अब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है।

जीविका के सहारे कठिन दौर को मुस्कुराकर जीना सिखा

गरीब परिवारों के लिए जीविका समूह किसी वरदान से कम नहीं है। जीविका समूह गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग और भरोसा देकर उनकी जिंदगी की मुश्किलें आसान कर रही है। मुजफ्फरपुर जिला स्थित मड़वन प्रखंड के जखरा शेख गाँव की निवासी आशा देवी ने उद्यमी बनने की ओर कदम बढ़ाया है। आशा देवी अपने पति हीरा चंद्र साह के साथ मिलकर अपने गाँव में ही मसाला उद्यम चलाती है। अपने मसाला उद्यम से वह प्रतिदिन 50 से 60 किलोग्राम हल्दी, धनिया और मिर्च का पाउडर तैयार कर और उसका पैकेट बनाकर स्थानीय बाजार में बेचती है।

45 वर्ष की उम्र में आशा देवी ने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा देने का जिम्मा तो निभाया ही, साथ ही एक बेटी की शादी के बाद थोड़े कर्ज में डूब जाने की वजह से निराशा भी झेली। साल 2016 में उन्होंने जीविका समूह से करीब एक लाख रुपये का ऋण लेकर अपनी बेटी की शादी की थी। इसके बाद उनके सामने कर्ज चुकाने की चुनौती थी।

इसी मुश्किल घड़ी में आशा देवी और उनके पति ने मिलकर मसाला पीसने का काम शुरू किया। केवल 15,000 रुपये में खरीदी गई इस पुरानी मसाला मशीन को मरम्मत करवाकर दोनों ने यह काम शुरू किया था। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाने लगी और प्रतिदिन 4 से 5 किलोग्राम मसाले की बिक्री होने लगी। धीरे–धीरे यह आंकड़ा बढ़कर प्रतिमाह 2 से 3 क्विंटल तक पहुंच गई है। आज उनकी आमदनी प्रतिमाह 20 से 25 हजार रुपये तक पहुँच गई है। आस–पास के किराना दुकानदार भी उनके पास से ही मसाले खरीदते हैं और अच्छी गुणवत्ता होने के कारण उनकी मांग भी बढ़ रही है।

आशा देवी अपने मसाले की पैकेजिंग को अपने ब्रांड के रूप में विकसित करना चाहती है। उनकी मेहनत ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। आने वाले समय में वह इस उद्यम को भी बृहत पैमाने पर ले जाने की योजना बना रही हैं।

दीदी का अधिकार केंद्र:

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण मंच

महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रखंड स्तर पर 'दीदी अधिकार केंद्र' की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से जीविका समूह से जुडी दीदियों या अन्य महिलाओं को किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या लैंगिंग भेदभाव की स्थिति में मदद पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा प्रखंड कार्यालय में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने हेतु महिलाओं को अनावश्यक भागदौड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिलाओं को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु दीदी अधिकार केंद्र समन्वय का काम करेगा।

दीदी अधिकार केंद्र की आवश्यकता

प्रमुख घटनाओं, विभिन्न अध्ययनों, पायलट परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं से प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि लिंग आधारित हिंसा या भेदभाव और अधिकारों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु एक समर्पित मंच की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप जीविका द्वारा दीदी अधिकार केंद जैसी अनूठी पहल की गई है।

- **भेदभाव और हिंसा की सामान्यीकरण:** महिलाएँ अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को व्यक्तिगत एवं एक सामान्य समस्या मानती है।
- **सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी की कमी:** सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता का अभाव, सरकारी कार्यालयों में जाने में लगने वाले समय और व्यय के कारण महिलाएँ आमतौर पर योजनाओं के लाम से वंचित रह जाती हैं।
- **डर और संकोच:** यदि महिलाएँ किसी समस्या को पहचान भी लें, तो वे इसे साझा करने या इसके खिलाफ आवाज उठाने में हिचकिचाती हैं।
- **कम सहायता मांगने की प्रवृत्ति:** महिलाएँ सामान्य तौर पर किसी से सहायता मांगने में संकोच करती है और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को भी वे चुपचाप सहती रहती है।
- **सामाजिक उदासीनता:** बाल विवाह और लिंग अनुपात जैसे मामलों में सामाजिक स्तर पर व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है।
- **जानकारी का अभाव:** महिलाएँ यदि किसी परिस्थिति में सहायता लेना चाहती भी है तो उन्हें समाधान प्रणाली और सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है।
- **सुरक्षित स्थान की कमी:** हिंसा से संबंधित घटनाओं को साझा करने और शिकायत दर्ज करने के लिए सुरक्षित स्थान का अभाव होता है।

दीदी अधिकार केंद्र का उद्देश्य :–

- **समुदायिक संस्थानों का समर्थन:** महिलाओं और वंचित वर्गों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना।
- **नीतिगत परिवर्तन:** वंचित वर्गों के हितों को उठाने और सामूहिक कार्यों के द्वारा प्रभावी नीतिगत परिवर्तन करना।
- **संपूर्ण सहायता प्रदान करना:** ग्रामीण महिलाओं और वंचित वर्गों को सभी आवश्यक सेवाएँ और मार्गदर्शन प्रदान करना, जैसे अधिकार और पात्रता, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सहायता, आश्रय, पुनर्वास आदि।

दीदी अधिकार केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

दीदी अधिकार केंद्र महिलाओं को प्रत्यक्ष और रेफरल दोनों प्रकार की सेवाएँ प्रदान करेगा। प्रत्यक्ष सेवाएँ निम्नलिखित हैं

- **सरकारी योजनाओं की सहायता:** ग्राम गरीबी योजना या अन्य योजनाओं के तहत आने वाले योग्य मांगों को पूरा करने में मदद करना।
- **जानकारी का संचार:** सहायता मांगने वाले व्यक्तियों को सभी प्रासंगिक मामलों पर जानकारी प्रदान करना।
- **समाधान प्रक्रिया में सहायता:** एफआईआर या अन्य कानूनी मामलों में सुविधा प्रदान करना।
- **रेफरल तंत्र सुनिश्चित करना:** सेवा प्रदाताओं के साथ समयबद्ध और प्रमावी रेफरल तंत्र स्थापित करना।
- **कानूनी साक्षरता शिविर:** अधिकार और पात्रता के बारे में जानकारी देने के लिए शिविर आयोजित करना।
- **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना:** महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में मदत करना।
- **संरक्षण और सलाह:** लैंगिक हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सुरक्षा और सलाह प्रदान करना।

दीदी अधिकार केंद्र का सामाजिक योगदान

यह केंद्र न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं और सामाजिक विकास कार्यक्रमों का लाभ भी पहुँचाएगा। प्रखंड स्तर पर स्थापित यह निकाय प्रशासन और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि समस्याओं का शीघ समाधान किया जा सके।

'दीदी अधिकार केंद्र' महिलाओं के लिए एक सशक्त मंच होगा, जो उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने का साहस प्रदान करेगा। यह केंद्र समाज में जागरूकता बढ़ाने, भेदभाव और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने में मदद करेगा और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करेगा। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर एक ठोस कदम बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

- संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार